मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 6–12/2007/18–3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2007

1. समस्त आयुक्त,
   नगरपालिक निगम,
   मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी/
   नगर पंचायत, मध्य प्रदेश ।

3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारण/
   विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश ।

विषयः– नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर जिला स्तर पर खोले गए उपकर संग्रहण खाते में जमा कराना सुनिश्चित करने बाबत् ।

संदर्भः– 1. नगरीय प्रशा.वि.वि.मंत्रालय का पत्र कमांक 375/2003, दि.08.05.2003
2. कमांक/एफ–6–20/2004/18–3, दिनांक 05 मई, 2004
3. कमांक/एफ–6–20/2005/18–3,दि 22.08.2005(छायाप्रतियां संलग्न)

––0––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 सहपठित केन्द्रीय नियम, 1998 के अंतर्गत रू0 10 लाख तक की लागत के निजी आवासों के निर्माण को छोडकर सभी निर्माण कार्य की अनुज्ञा देने के पूर्व उपकर राशि प्राप्त कर उसका भुगतान म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल को करने के निर्देश दिये गये है ।

उक्त संबंध में शासन की जानकारी में आया है कि प्रदेश के कई नगर पालिक निगम, नगरपालिका / नगर पंचायतों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रह है। चूंकि उपकर अधिनियम के अंतर्गत उपकर राशि भवन निर्माताओं से प्राप्त कर आपक द्वारा मण्डल को भुगतान करना वैधानिक दायित्व है । अतएव इस संबंध में कृपय निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

(1) नगरीय निकाय द्वारा जहां भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, भवन अनुज्ञा जारी करने के पूर्व निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर जिला स्तरीय उपकर खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(2) नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्वतः के निर्माण कार्यों के प्रत्येक भुगतान से एक प्रतिशत उपकर राशि काटी जाकर चैक के माध्यम से मण्डल के जिला स्तरीय बैंक खाते ही में जमा की जावे ।

(3) उपकर संग्रहण की प्रकिया को सरल करते हुये प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में उपकर संग्रहण हेतु बैंक खाता खोला गया है । अतः नगरीय निकाय / ठेकेदार / निर्माण एजेन्सी द्वारा उपकर सीधे स्थानीय चेक द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर खोले गए बैंक खाते में ही जमा किया जावे । ऐसा करने से ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी तथा जिले के स्थानीय श्रम कार्यालय में जाकर पावती प्राप्त करना भी जरूरी नहीं होगा । चेक जमा करते समय बैंक द्वारा दी जाने वाली स्लिप राशि जमा करने का पर्याप्त कानूनी सबूत है । यदि यह स्लिप खो भी जाये तो भी संबंधित कार्यालय की पास बुक में चेक भुनने का इंद्राज होता है तथा कवरिंग लेटर की छाया प्रति भी रहती है, जिसमें जारी किये गये चेक का कमांक, राशि व दिनांक अंकित रहती है । अतः चेक सीधे प्रत्येक जिले में श्रम विभाग द्वारा खोले गए उपकर बैंक खाते में ही जमा कराया जाये तथा स्थानीय श्रम कार्यालय में इस चेक को, जमा करना या पावती प्राप्त करना कतई आवश्यक नहीं है ।

4 उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा उपकर संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करनेकी स्थिति में अंकेक्षण आपत्ति होगी तथा जिस पर दण्ड ब्याज भी देय होगा । अतः कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे तथा की गई कार्यवाही से विभाग व आयुक्त, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण भोपाल को अवगत कराया जाये ।

पृ.कमांक एफ 6—12/2007/18—3
प्रतिलिपिः—

भोपाल, दिनांक । जुलाई, 2007

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, श्रम तथा संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके पत्र कमांक 538, दिनांक 28 मार्च,2007 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2. श्री मलय कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल। कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा उपकर के भुगतान के संबंध में राज्य स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा करें ।

3. श्रमायुक्त,म.प्र. न्यू मोती बंगला, इन्दौर ।

4. श्री आर.जी. पांडे, सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल डी. ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल।

समस्त संभागीय उप संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया सुनिश्चित करें कि अधिनियम के अनुसार देय उपकर जिला स्तर पर खोले गये मण्डल के खाते में प्रतिमाह चेक द्वारा जमा किया जाये ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग